मैनुअल पद्धति के निविदा हेतु आवश्यक नियम एवं शर्ते

नगर निगम गोरखपुर द्वारा मैनुअल पद्धति द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत ठेकेदारों/फर्मो से मोहरबन्द निविदाए आमंत्रित की जाती है। मैनुअल पद्धति के कार्यो की बिना कारण बताए एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर के पास सुरक्षित होगा। निविदा में निम्नलिखित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

शर्ते–

1 मैनुअल पद्धति के कार्यो के लिए मोहर बन्द निविदाए उपयुक्त श्रेणी में ठेकेदारों से नगर निगम गोरखपुर के निर्माण विभाग के कार्यालय में रखे गये टेण्डर बाक्स में प्राप्त की जायेगी, एवं निविदा पंजीकृत डाक से भी प्रेषित की जा सकेगी। बाद में प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा। कार्यो का विवरण नगर निगम गोरखपुर की वेब–साइट www.nagarnigamgkp.org एवं ई–टेन्डर की वेब–साइट http://etenderr.up.nic.in तथा कार्यालय के नोटिस–बोर्ड पर देखा जा सकता है। प्रत्येक कार्य की निविदा दर प्रतिशत में नियत फार्म पर दी जानी चाहिए। किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगी।

2 निविदा प्रपत्र वेबसाईट से डाउनलोड करने की दशा में निविदा प्रपत्र हेतु मूल्य (जैसा की निविदा सूचना के कालम में सदर्शित है) का राष्ट्रीकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट लेखाधिकारी नगर निगम गोरखपुर के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

3 धरोहर धनराशि एन०एस०सी०/ राष्ट्रीकृत बैंक के एफ०डी०आर० के रूप में मान्य होगी जो अधिशासी अभियन्ता नगर निगम गोरखपुर के पक्ष में बंधक होगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में जमानत की धनराशि मान्य नही होगी। पृथक–पृथक निविदा हेतु पृथक–पृथक जमानत धनराशि संलग्न करनी होगी कोई Reference अथवा संयुक्त जमानत धनराशि मान्य नही होगी तथा स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंको अथवा पोस्ट आफिस द्वारा ही जारी जमानत धनराशि (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी०) संलग्न की जाये ताकि सत्यापन में कोई असुविधा न हो।

4 निविदा की दर अंको व शब्दो में स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। शब्दों में अंकित न होने की दशा में निविदा मान्य नही होगी। दर अंकित करते समय "कम" अथवा "अधिक" शब्द का उल्लेख होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अंको तथा शब्दों में उल्लेखित दर की भिन्नता पाये जाने एवं निर्धारित स्थान पर निविदादाता द्वारा दर अंकित न करने की स्थिति में निविदा अवैध एवं अमान्य करते हुए लिफाफा बन्द कर दिया जायेगा। निविदा दरें ओवर आल परसेंटेज बेसिस पर ही मान्य होगी।

5 डाक द्वारा निविदा प्रपत्र के क्रय हेतु निविदा प्रपत्र के मूल्य के साथ डाक व्यय का भुगतान नकद/मनीआर्डर द्वारा करना होगा।

6 डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्ही निविदाओं पर विचार किया जायेगा जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होंगे ।

7 निविदा प्रपत्र पर निविदादाता के नियत स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए।

8 निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त एवं खोली जायेगी।

9 निविदा की वैधता निविदा खुलने की तिथि से 06 माह तक होगी।

10 ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में सफल/सर्वन्यून होने के उपरान्त नगर निगम गोरखपुर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए निविदादाता को अलग से पंजीकरण की समस्त कार्यवाही करनी होगी।

11 निविदा के साथ निविदा प्रपत्र बिक्री की रसीद मूलरूप से संलग्न करनी होगी एक से अधिक निविदा की दशा में उसकी छायाप्रति संलग्न की जा सकती है, जिसे ठेकेदार को स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।

12 निविदा के साथ जी०एस०टी० प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी कार्यालय से जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

13 निविदा के साथ किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

14 शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0, लोक निर्माण अनुभाग–12 दिनांक 08–06–2012 के अनुरूप विलो निविदाओं पर नियमानुसार परफार्मेन्स गारण्टी देय होगी।

15 निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय व नगरीय शोध प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ के पत्रांक स्था0सेल/07/निदे0/2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा हैसियत की सीमा तथा पंजीकरण जमा धनराशि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम गोरखपुर